

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

407
Gen
29/6/15

क्रमांक प. 1(1)न्याय/2013

जयपुर, दिनांक 29 JUN 2015

—अधिसूचना—

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा 1, धारा 10 की उपधारा 1 एवं धारा 16 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार निम्नलिखित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों की अतिरिक्त बैठक का स्थान निम्नानुसार नियत करती है:-

| क्र०स० | न्यायालय का नाम | बैठक का स्थान | अतिरिक्त बैठक का स्थान | शिविर न्यायालय की अवधि |
|--------|--|---------------|------------------------|---|
| 1 | अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, बयाना जिला भरतपुर | बयाना | रूपवास | प्रत्येक माह के एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस |
| 2 | अपर जिला न्यायाधीश बाली जिला पाली | बाली | देसुरी | प्रत्येक माह के एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस |

राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक माहेश्वरी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/9/92/ 830

Dated : 29/06/2015

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur.
2. Registrar (Classification), RHC, Jodhpur with a request to upload the same at the website.
3. District and Session Judge, Pali/ Bharatpur.
4. Additional District Judge, No.1 Bayana/ Bali.
5. Chief Judicial Magistrate, Pali / Bharatpur.
6. Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget and Reconciliation clerk, Rajasthan High Court, Jodhpur

Registrar (Rules)

708
15/6/15

Sec